

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1622/2026

United India Insurance Company Limited

----Appellant

Versus

Smt. Shabeena

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. T.R. Singh

For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/05/2026

यह अपील मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, लाडनूं जिला डीडवाना-कुचामन द्वारा पारित निर्णय दिनांक **20.2.2026** से व्यथित होकर अपीलार्थी/बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण/याचीगण की ओर से प्रस्तुत दुर्घटना दावा संख्या **29/2023** को स्वीकार कर याचीगण को **77,06,936/-**रुपये प्रतिकर राशि दिलवाई गई है।

स्थगन पर सुना गया।

यह मामला दुर्घटना के क्रम में पारित प्रतिकर राशि से सम्बन्धित है, अतः आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी/बीमा कम्पनी विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट राशि मय ब्याज में से **75 प्रतिशत भाग** आगामी छः सप्ताह की अवधि में जमा कराए जाये तो पंचाट की शेष राशि की क्रियान्विति **आगामी तारीख पेशी तक** स्थगित की जाती है।

इस आदेश की पालना में बीमा कम्पनी द्वारा आदेशित राशि जमा कराने पर जमाशुदा राशि प्रत्यर्थी/दावेदारों को इन तथ्यों की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि बीमा कम्पनी इस अपील में सफल होती है तो उस स्थिति में प्रत्यर्थी/दावेदार द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः बीमा कम्पनी को **सात प्रतिशत (07%) वार्षिक ब्याज दर** के साथ अपील के निर्णय के एक माह की अवधि में लौटाने के लिए बाध्य व तैयार रहेंगे।

बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की अवधि में आदेशित राशि जमा कराने में असफल रहने पर प्रत्यर्थी/दावेदार विधि अनुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।

अपील की ग्राह्यता के सम्बन्ध में सुना गया।

अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है।

पी.एफ. नोटिस मय आदेशिका शुल्क दो सप्ताह में पेश होने पर प्रत्यर्थीगण संख्या-1 से 5 को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी हों। अपीलार्थी के निवेदन अनुसार व उसकी जोखिम पर प्रत्यर्थीगण संख्या 6 से 7 की तामील से उन्मुक्ति प्रदान की जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के अनुसरण में क्लेमेन्ट्स को क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के उपरांत ही अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित किया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J